न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 04/2018

बउनवान

गंगाबिशन आयु 40 साल पुत्र श्री मदनलाल जाति–जाटव, उचित मूल्य दूकानदार ग्राम पंचायत चाचोडा निवासी–चाचोडा तहसील–छबडा जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 04.02.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 27.11.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरुद्ध रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील [illegible] किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का उचित मूल्य दूका[illegible] [illegible] पत्र दिनांक 27.11.2017 को निरस्त कर दिया गया है। [illegible] आदेश कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये [illegible] है। [illegible] अपीलांट को सुनवाई हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 1[illegible].2017 [illegible] किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 18.8.2017 को नि[illegible] राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की गयी है। रसद विभाग [illegible] संगत एवं तथ्य परक नहीं है, क्योंकि आरोप स्पष्टया वर्णित नहीं है।

अपीलांट [illegible] सुनवाई दिनांक 17.11.2017 को जवाब के रूप में प्रार्थनापत्र एवं शिका[illegible] पत्र पेश किये कि हमने राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। अपील[illegible] नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत चाचोडा ने भी पंचायत लेटरपेड [illegible] की है कि लाईसेंस बहाल किया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्या[illegible] की कोई विवेचना या कार्यवाहीं नहीं कर, लाईसेंस निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उल्लेख किया है कि अपीलांट ने कुछ ट्रान्जेक्शन किया है [illegible] इन्द्राज पोस मशीन के रेकार्ड में नहीं है, उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि उन्हे उक्त सामग्री प्राप्त नहीं हुयी है परन्तु सामग्री में किसी आवश्यक वस्तु का उल्लेख नहीं है। [illegible] प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को स्पष्टतः किसी अनियमितता या आरोप का दोषी होने की पुष्टि नहीं मानी है बल्कि निर्णय में औपचारिकतापूर्वक अनियमितताओं की पुनरावृत्ति करना माना है। अतः अपीलांट [illegible] अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 413/2008 उचित मूल्य दूकान चाचोडा को बहाल किया जावे।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम चाचोडा ग्राम पंचायत चाचोडा का उचित मूल्य दूकानदार है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलांट की दूकान का झूठी शिकायत के आधार पर दिनांक 17.08.2017 को जॉच की गयी। जिसमें अपीलांट द्वारा कुछ ट्रान्जेक्शन करना जिनकी एन्टी पोस मशीन के रेकार्ड में नहीं होना अंकित कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। यह मौका रिपोर्ट राजनैतिक दबाव में झूठी तैयार की गयी है। गॉव के कुछ लोग उससे राजनैतिक द्वैषता रखते है एवं प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके कहने पर हीं रिपोर्ट तैयार की गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक ने रिपोर्ट में शिकायत प्राप्त होने अभिलिखित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई लिखित शिकायत मौजूद नहीं है, मात्र कयास के आधार पर जॉच की गयी है। जॉच रिपोर्ट में जिन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री व केरोसीन कम देना बताया गया है, उनके मौके पर कोई बयान नहीं लिये गये है, न ही राशनकार्ड को जॉच पत्रावली में शामिल किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायत का सत्यापन हो सके।

4— प्रवर्तन निरीक्षक, छबडा द्वारा जिला रसद अधिकारी, बारां को जॉच रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 13.10.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है जिसमें राशनसामग्री वितरण में अनियमितता बतायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस पूर्णतया अस्पष्ट कि अपीलांट द्वारा क्या अनियमितता की गयी है जिसका उसका जवाब अपेक्षित है, फर्द रिपोर्ट व आरोप से अपीलांट को कोई अवगत नहीं कराया गया। इस संबंध में अपीलांट ने तत्समय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर, अवगत कराया गया था कि उसे स्पष्ट आरोप पत्र तैयार कर दिये जावे ताकि अपीलांट उनका सुस्पष्ट जवाब पेश कर सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के कथन पर कोई ध्यान नहीं देकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया है

5— अपीलांट पर जिन उपभोक्ताओं को राशनसामग्री कम देने व पोस मशीन में राशनसामग्री [illegible] आरोप लगाया गया है, उन उपभोक्ताओं ने दिनांक 17.11.2017 को [illegible] पेश किये है कि उनके द्वारा राशन सामग्री राशनकार्ड पर प्राप्त की गयी है उन्हें डीलर से कोई शिकायत नहीं है तथा सरंपच ग्राम पंचायत, चाचोडा द्वारा भी दिनांक 13.11.2017 को लेटरपेड पर लाईसेंस बहाल करने की अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् की जॉच किये बिना हीं तथा इनका निर्णय में विवेचना किये बिना हीं मनमाना एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट की बिना सुनवाई व जवाबदेहीं के अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 निरस्त किया जाकर, उचित मूल्य दूकान, चाचोडा का प्राधिकार पत्र संख्या 413/08 को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

6— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि ग्रामवासियान् द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को डीलर के विरूद्व अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त होने पर, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.8.2017 को मौके पर पहुँचकर, शिकायत का सत्यापन किया गया। डीलर की दूकान मौके पर बंद पाये जाने पर, उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान एवं राशनकार्ड की जॉच की गयी। राशनकार्ड में राशनसामग्री कम देने व राशनकार्ड में राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं होना एवं पोस मशीन में उसकी एन्टी होने के सत्यापन होने पर, जॉच व मौका रिपोर्ट तैयार कर, डीलर के विरूद्व कार्यवाहीं करने हेतु सक्षम अधिकारी जिला रसद अधिकारी, बारां को रिपोर्ट पेश की गयी है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत नोटिस जारी कर, आरोप प्रमाणित पाये जाने पर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी कारण बताओं नोटिस में अनियमितताओं को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा क्या अनियमितताऐं की गयी है। सुनवाई एवं जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया गया है तथा ना हीं [illegible] अपीलांट के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] का विवेचन किया गया है। जबकि उसके द्वारा उपभोक्ताओं [illegible] राशनसामग्री व करासीन का वितरण किया गया है। जबकि [illegible] तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डीलर के विरूद्व जॉच [illegible] होने के उपरान्त हीं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस [illegible] के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, छबडा द्वारा डीलर के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 17.8.2017 को डीलर की जॉच की गयी है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शिकायत नहीं पायी गयी, जिसके [illegible] गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जॉच में जिन उपभोक्ताओं [illegible] एवं राशनसामग्री नहीं देने या पोस मशीन में वितरण की [illegible] सत्यापन किया गया है, शिकायतकर्ताओं के राशनकार्ड [illegible] गये है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी कारण बताओ नोटिस में भी आरोपो व अनियमितताओं का स्पष्ट अंकन नहीं [illegible] बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मत रहा है कि आरोपो का स्पष्ट नहीं होने से जवाब पेश नहीं किया जा सका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.11.2017 पारित करने से पूर्व अपीलांट के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

समर्थन में प्रस्तुत बयानात एवं ग्राम पंचायत की अनुशंसा की भी कोई विवेचना नहीं की गयी है।

8— इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा की गयी अनियमितताओं की पुष्टि नहीं की गयी है तथा अपीलांट को जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना हीं आदेश दिनांक 27.11.2017 से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावी आदेश पारित करने से पूर्व आरोपों की स्पष्ट व्याख्या कर आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त ही आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधिक भूल की गयी है।

9— अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा पारित प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 413/2008 बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
(राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official